न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 97/2016/225 आरटीए

जोगेन्द्रसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. हरजिन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जसकरणसिंह पुत्र शीतलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलकरणसिंह पुत्र शीतलसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. शीतलसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.02.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्र0सं0 112/2015 अनवानी हरजिन्द्रसिंह बनाम जसकरणसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांक –23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 2 व 3 के द्वारा अपनी चक 7 एनकेआर के वर्तमान खाता सं. 43/38 की भूमि जो जरिये डिक्री उन्हे प्राप्त हुई थी, अपने हक व हिस्सा मे 2.024 है0 भूमि का एक पंजीकृत बैयनामा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे निष्पादित कर दिया तथा उसी रोज मौका पर रेस्पो0 सं. 1 को कब्जा दे दिया गया। रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 02.08.2017 के रोज से उक्त भूमि पर लगातार काबिज चला आ रहा है। जिस पर कब्जा रेस्पो0 सं. 1 अपना बताया है तथा अपीलांट तथा रेस्पो0 सं. 2 ता 4 के खिलाफ अपना धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे अनुतोष मे वादग्रस्त भूमि मे शीतलसिंह के वारिसान को वादग्रस्त भूमि दिगर व्यक्तियों को रहन, बैय नही करने तथा कब्जा काश्त मे दखल अंदाजी नही करना अंकित किया गया। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र मे अपीलांट के खिलाफ रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कोई अनुतोष नही मांगा गया। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि हमारे खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा। इस कारण हमारा नाम इस प्रार्थना पत्र से डिलीट किया जावें जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा अपीलांट का कोई जवाब बन्द नही किया तथा दिनांक 10.02.2016 को अपीलांट के खिलाफ अपीलांट की भूमि रहन, बैय तथा किसी अन्य प्रकार से अन्तरण नही करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 7 एनकेआर के खाता सं. 43/38 मे अपीलांट के नाम से 7.424 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसका अपीलांट रिकार्डेड टेनेन्ट है। वादग्रस्त भूमि इस खाते मे सांझे खाते मे दर्ज है तथा रेस्पो0 सं. 1 के नाम इस भूमि मे कोई हक व हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड नही है तथा रेस्पो0 सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपीलांट के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा लेकिन विचारण न्यायालय मे अपीलांट के नाम 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र मे दर्ज होने के आधार पर स्थगन आदेश जारी किया है वह विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। किसी भी खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकत। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे विशिष्ट किलो पर भूमि क्रय करना बताया है तथा वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाते मे है तथा रेस्पो0 सं. 2 व 3 के नाम कोई राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज नही है तथा ना ही उन्हे विशिष्ट बीघो पर कोई भूमि विक्रय करने का अधिकार है। अपीलांट के खिलाफ उसके हक व हिस्से बाबत कोई एतराज नही किया, फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ स्थगन आदेश जारी कर आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश की आड़ मे रेस्पो0 सं. 1 अपीलांट की खातेदारी भूमि मे जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि जसकरण बनाम बुटासिंह अनवान का प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया जिसमे रेस्पो0सं. 1 के द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत किया गया तथा इकबालदावा प्रस्तुत होने के उपरांत न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के कारण वादीगण का वाद डिक्री कर दिया तथा इस डिक्री की अनुपालना मे राजस्व मे अमल दरामद वादीगण के नाम से हो गया। वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद होने के उपरांत

दिनांक 02.08.2017 को जसकरणसिंह व बलकरण सिंह के द्वारा अपनी चक 7 एनकेआर खाता सं. 43/38 की भूमि जो जरिये डिक्री उन्हे प्राप्त हुई थी अपने हक व हिस्सा मे से 2.024 है0 भूमि का एक पंजीकृत बैयनामा रेस्पो0 हरजिन्द्रसिंह के पक्ष मे निष्पादित करवा दिया तथा उसी रोज मौका पर कब्जा सौंप दिया। रेस्पो0 दिनांक 02.08.1997 के रोज से चक 7 एनकेआर के प.न. 136/155 मु.न. 45 कि.न. 11 ता 14, 17 ता 19, 24 कुल 2.024 है0 पर लगातार काबिज चला आ रहा है। रेस्पो0 द्वारा उक्त भूमि को खरीद करने के उपरांत राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने की कार्यवाही प्रारम्भ की तो वादीगण द्वारा रणजीतकौर आदि से मिलकर एक अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के यहां प्रस्तुत करवा दी जिसमे रेस्पो0 सं. 1 को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया तथा राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी हरजिन्द्रसिंह अपना नाम दर्ज न करवा ले इस बाबत स्थगन प्राप्त कर लिया। स्थगन लेने के उपरांत अब भूमि राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज पुनः वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा मिलकर शीतलसिंह के पिता जोगेन्द्र सिंह के नाम से करवा दिया जबकि प्रतिवादी हरजिन्द्रसिंह भूमि पर बतौर बैयनामा मालिक काबिज है। इसलिए रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया कि चक 7 एनकेआर के प.न. 136/155 मु.न. 45 कि.न. 11 ता 14, 17 ता 19, 24 कुल 2.024 है0 भूमि को अप्रार्थीगण रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण आदि नही करे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने का अनुतोष चाहा गया। इस प्रार्थना पत्र मे अपीलांट के खिलाफ रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कोई अनुतोष नही मांगा गया। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि हमारे खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा। इस कारण हमारा नाम इस प्रार्थना पत्र से डिलीट किया जावें जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा अपीलांट का कोई जवाब बन्द नही किया तथा दिनांक 10.02.2016 को अपीलांट के खिलाफ अपीलांट की भूमि रहन, बैय तथा किसी अन्य प्रकार से अन्तरण नही करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पर दिनांक 10.02.2016 को बहस सुनी जाकर उसी रोज प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज किया गया और उसी रोज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस सुनी जाकर उसी रोज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया गया। जबकि अपीलांट व रेस्पो0 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी जो नाम हटाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जो खारिज करने की स्थिति मे अपीलांट/अप्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर दिया जाकर तद्उपरांत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की पृथक से बहस सुनी जाकर पृथक निर्णय पारित किया गया चाहिए था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे एक ही दिन बहस सुनी जाकर एक ही दिन मे दोनो का निर्णय पारित किया गया है जो विधिपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे बहस सुनने उपरांत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का निस्तारण होने तक रेस्पो0 सं. 1 चक 7 एनकेआर के खाता सं. 43/38 मे दर्ज भूमि मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official